खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0019/2017

अनुपम विजयवर्गीय पुत्रश्री गोपाल विजयवर्गीय मालिक/विक्रेता—मैसर्स विजयवर्गीय नमकीन्स, गुरूनानक डेयरी के पास, शाम की सब्जी मण्डी, भीलवाड़ा (राजस्थान)

——अपीलार्थी

विरूद्व

1. राज्य सरकार जरिए राजस्थान राज्य
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संजय सिंह कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

——प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः—

1. श्रीमती संगीता शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 09.07.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 09.09.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 34/2016 सरकार बनाम अनुपम विजयवर्गीय में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)II के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलार्थी भीलवाड़ा में खाद्य पदार्थ नमकीन पेकिट विक्रय कर रहा था, उससे दिनांक 08.12.2015 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमकीन पैकिट का सैम्पल खरीद किया जो जांच के लिए भेजा गया, बाद जांच खाद्य पदार्थ के तत्वों में कोई कमी नहीं पाई गई परन्तु पैकिंग पर जो आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं थी जिसपर उसे अभियोजित किया गया तथा आलौच्य आदेश पादित किया गया।

3. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी छोटा

व्यापारी है, उसे नियमों की जानकारी नही थी, अब पालना कर दी गई है। पूर्व की दुकान भी उसने बन्द कर दी और नया कारोबार शुरू किया है। वर्तमान में प्रचलित पैकिंग का सैम्पल मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया जो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहा है जिसपर कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थी को धारा 31 की उपधारा 02 के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाए।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 34/2016 सरकार बनाम अनुपम विजयवर्गीय में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)II के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत उसपर 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर 20,000रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर